संख्या:626 /I/2007-01(1)/02/06

प्रेषक,

डा0 एम0सी0 जोशी
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

विद्युत निरीक्षक,
उत्तराखण्ड शासन
पंचायत घर, बड़ी मुखानी,
हल्द्वानी (नैनीताल)

ऊर्जा विभाग, देहरादून: दिनांक: 29 जनवरी, 2007

विषय:– वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिये विद्युत सुरक्षा कार्यालय हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में स्वीकृत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 4663/वि0नि0उ0/बजट/पुनर्विनियोग मांग, दिनांक 23.12.2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 647/I/2005-01(1)/02/06, दिनांक 18.05.2006 के कम में विद्युत सुरक्षा निदेशालय को विभिन्न वचनबद्ध मदों में, जिनका मदवार विवरण संलग्न बी0एम0–15 के कॉलम 5 में है, में रु0 3,74,000.00 (रु0 तीन लाख चौहत्तर हजार मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम0–15 के अनुसार पुनर्विनियोजन द्वारा व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त धनराशि के व्यय के लिये शेष शर्तें उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 18.05.2006 के अनुसार ही रहेंगी।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान सं0–07 लेखाशीर्षक–2045–वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क–00–आयोजनेतर–103–संग्रहण प्रभार–विद्युत शुल्क–उपशीर्षक–03–विद्युत सुरक्षा निदेशालय–00–के अन्तर्गत संलग्नक में वर्णित सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 2117/XXVII(2)/2007 दिनांक 24 जनवरी, 2007 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:–यथोक्त (बी.एम.15)

भवदीय,
/
(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्या:626 /I/2007-01(1)/02/06, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–2
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उप कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
4– अपर निजी सचिव, मा0 ऊर्जा राज्यमंत्री को मा0 राज्य मंत्री के संज्ञानार्थ।
~~5–~~ प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव

बी0एम0–15

पुनर्विनियोग 2006–2007 आयोजनेत्तर अनुदान सं0–07

नियन्त्रक अधिकारी–अपर मुख्य सचिव–ऊर्जा विभाग

(रु0 हजार

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधि I के व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 1 में कुल अवशेष धनराशि	औचि
1	2	3	4	5	6	7	8
2045–वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क आयोजनेत्तर 103–संग्रहण प्रभार विद्युत शुल्क 0000–03–विद्युत सुरक्षा निदेशालय मानक कोड 18–प्रकाशन 400 26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 100	125 –	01 –	274 100 } क	2045–वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क– 00–आयोजनेत्तर– 103–संग्रहण प्रभार विद्युत शुल्क 03–विद्युत सुरक्षा निदेशालय मानक कोड–00– 01–वेतन 268 03–महगाई भत्ता 58 } ख 48–महगाई वेतन 48	1868 730 848	01 –	(क) अव... न होने व... कारण। (ख) आ... अधिक ... प्राविधान... होने के ...
योग:– 500	125	01	374	374	3446	01	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद–150,151,155,156 में उल्लिखित सीमाओं का एवं प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–2
संख्या: 2117(अ)/XXVII-2/06
देहरादून: दिनांक: 24 जनवरी, 2007
पुनर्विनियोग स्वीकृत

एल.एम. पंत
अपर सचिव

संख्या: /I/2007-01(1)/02/06, दिनांक जनवरी, 2007

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– कोषाधिकारी, देहरादून/हल्द्वानी।

2– वित्त अनुभाग–2

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव